बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम

(बिहार सरकार का उपक्रम)

कॉर्पोरेट पहचान सं0(CIN)-. U45200BR1974SGC001126

प्रधान कार्यालय–कौटिल्य नगर, बि0वि0स0पु0–5, थाना–हवाई अड्डा थाना, पटना–800014.

विनय कुमार
भा0पु0से0
पुलिस महानिदेशक सह–अध्यक्ष–सह प्रबंध निदेशक

दूरभाष (कार्यालय) : 0612-2224529
मोबाईल नं0 : 9471006800
ई–मेल : policenigam@bihar.gov.in
वेबसाईट : www.bpbcc.bihar.gov.in

संचिका सं0–स्था0/अपील–प्राधि0/34/2024/पु0नि0 दिनांक–.....2024

आदेश सं0 –५.१६/2024

श्री चन्दन कुमार, पिता–कार्तिक सिंह, ग्राम–पिपरा, पोस्ट–डुमरी, थाना–रतनपुर, जिला–बेगूसराय द्वारा मुख्य अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के कार्यालय आदेश–298/2024, सहपठित ज्ञापांक–एच0क्यू0 3020 दिनांक–03.08.2024, जिससे बिहार निबंधन नियमावली, 2007 की कंडिका–11(क)7 के प्रावधानों के तहत उनके निबंधन सं0–REG. No. 1210238 RWD को वैद्यता की तिथि, 21.08.2026 तक आगामी निविदाओं में भाग लेने से वंचित किया गया है, के विरूद्ध अपील दायर किया गया है। श्री चन्दन कुमार, ग्रामीण कार्य विभाग में निबंधित संवेदक हैं।

2. इस मामले से संबंधित अभिलेख का अवलोकन किया। बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम द्वारा ई–निविदा सूचना सं0–05/SBD/2022–23 के माध्यम से, अन्य कार्यों के अतिरिक्त क्रम सं0–17 से, निम्नांकित कार्य के लिये निविदा आमंत्रित की गयी थीः–

क्रम सं0–17–भागलपुर जिलान्तर्गत हवीबपुर थाना में मॉडल थाना भवन (G+3), आउट हाउस का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।

2. ई–निविदा की कंडिका–35 में निम्न शर्तें अंकित थी :–

"35–निविदा में केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्रों में समान प्रकृति के कार्य कराने का अनुभव, साक्ष्य सहित संलग्न (अपलोड) करने वाले संवेदक का ही निविदा मान्य होगा।"

3. ई–निविदा सूचना सं0–05/SBD/2022-23 में निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि एवं समय 30.06.2022 को 17:00 बजे अपराह्न तक निर्धारित की गयी थी।

4. बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के पत्रांक–एच0क्यू0 1785 दिनांक–23.06.2022 के द्वारा ई–निविदा सूचना सं0–05/SBD/2022-23 में निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि एवं समय 07.07.2022 को 17:00 बजे अपराह्न तक विस्तारित की गयी।

5. बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के पत्रांक–एच0क्यू0 1853 दिनांक–28.06.2022 के द्वारा पुनः ई–निविदा सूचना सं0–05/SBD/2022-23 में निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि एवं समय 21.07.2022 को 17:00 बजे अपराह्न तक विस्तारित की गयी।

6. उक्त ई–निविदा सूचना सं0–05/SBD/2022-23, क्रम सं0–17 भागलपुर जिलान्तर्गत हवीबपुर थाना में मॉडल थाना भवन (G+3), आउट हाउस का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य के लिये 04 संवेदकों के द्वारा यथा–चंदन कुमार, 2. निर्माण एन्जीकोन प्रा0 लि0, 3. प्रितम सागर इन्फ्राटेक प्रा0 लि0 एवं 4. महनार इन्फ्राटेक प्रा0 लि0 के द्वारा निविदा समर्पित की गयी।

7. निविदाकार चंदन कुमार द्वारा निविदा की शर्त सं0–35 के अनुपालन में कार्य अनुभव प्रमाण पत्र (Performance Certificate) के रूप में Executive Engineer, Jharkhand

Industrial Infrastructure Development Corporation (JIIDCO), Ranchi, Jharkhand द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र, पत्रांक–235 दिनांक–10.02.2022 समर्पित किया गया था।

8. निविदाकार चंदन कुमार द्वारा समर्पित अनुभव प्रमाण पत्र (Performance Certificate), निर्गत कार्यालय यथा–Executive Engineer, Jharkhand Industrial Infrastructure Development Corporation (JIIDCO), 3rd Floor, New RIADA building, Namkum Industrial Estate, Namkum, Ranchi, Jharkhand-834010 को, निविदाकार चंदन कुमार द्वारा समर्पित कार्यानुभव प्रमाण पत्र सत्यापित करने हेतु, अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल–2, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के पत्रांक–SE 87 दिनांक–03.04.2023 द्वारा, उनके ई–मेल आईडी0–hr@jiidco.co.in एवं jiidcoltd@gmail.com पर भेजा गया।

9. अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल–2, बिहार पुलिस भवन निर्माण के उपर्युक्त पत्र के आलोक में कार्यपालक अभियंता, जिडको, राँची का पत्रांक–303 दिनांक–24.04.2023 के द्वारा अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल–2, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के ई–मेल आईडी0–se12bpbcc@gmail.com पर दिनांक–24.04.2023 को पूर्वाह्न 11:33 बजे सूचित किया गया कि " आपके द्वारा सत्यापन हेतु उपलब्ध कराया गया पत्रांक–235, दिनांक–10.02.2022 Jharkhand Industrial Infrastructure Development Corporation (JIIDCO), Ranchi, Jharkhand के कार्यालय से निर्गत नहीं है।"

10. उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में निविदाकार चंदन कुमार, पिता–कार्तिक सिंह, निवासी–पिपरा, पो0–डुमरी, थाना–रतनपुर ओ0पी0, जिला–बेगूसराय, पिन–851117 के द्वारा आपराधिक षडयंत्र एवं जालसाजी कर, जाली अनुभव प्रमाण पत्र तैयार कर एवं उक्त जाली अनुभव प्रमाण पत्र समर्पित कर, छल पूर्वक बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम से कार्य आवंटित कराने तथा गलत ढ़ंग से लाभ प्राप्त करने का प्रयास के लिये उनके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा–467, 468, 471, 420, 120बी एवं 511 के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी गयी, दर्ज प्राथमिकी की सं0–पटना हवाई अड्डा थाना कांड सं0–152/2023 दिनांक–28.07.2023 है।

11. तत्पश्चात्, आपराधिक षडयंत्र के तहत निविदा के साथ जाली अनुभव प्रमाण पत्र समर्पित कर छल पूर्वक कार्य आवंटित कराने तथा गलत ढ़ंग से लाभ प्राप्त करने का प्रयास करने हेतु बिहार निबंधन नियमावली, 2007 की कंडिका–11(क)7 के प्रावधानों के तहत मुख्य अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के कार्यालय आदेश–298/2024, सहपठित ज्ञापांक–एच0क्यू0 3020 दिनांक–03.08.2024 के द्वारा चन्दन कुमार को उनके निबंधन सं0–REG. No. 1210238 RWD की वैद्यता की तिथि, 21.02.2026 तक आगामी निविदाओं में भाग लेने से वंचित करने का आदेश पारित किया गया।

12. अपीलकर्ता द्वारा अपने अपील आवेदन में कहा गया है कि

(i) निगम द्वारा प्रकाशित ई–निविदा सूचना सं0–05/SBD/2022-23 के क्रम सं0–17, भागलपुर जिलान्तर्गत हवीबपुर थाना में मॉडल थाना भवन (G+3), आउट हाउस का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य के लिये उनके द्वारा निविदा पत्र के साथ Jharkhand Industrial Infrastructure Development Corporation (JIDCO) 3rd Floor, New RIADA Building, Namkum Industrial Estate, Namkum Ranchi, Jharkhand 834010 द्वारा निर्गत कार्य अनुभव प्रमाण पत्र (Performance Certificate) संलग्न किया था।

Bid Validity Period समाप्ति के उपरान्त दिनांक–24.04.2023 को उनके द्वारा एक लिखित आवेदन निगम में समर्पित किया गया, जिसका पावती रसीद

निगम द्वारा फर्म को उपलब्ध कराया गया। उनके फर्म द्वारा निविदा प्रपत्र वापस लेने के उपरांत उक्त निविदा की तकनीकी बीड दिनांक 25.4.2023 को खोला गया, चूंकि उनके फर्म ने अपना निविदा प्रपत्र दिनांक 24.4.2023 को ही वापस ले लिया, इसलिये फर्म निविदा प्रक्रिया में शामिल ही नहीं था।

(ii) उनके फर्म द्वारा निविदा प्रपत्र के साथ Jharkhand Industrial Infrastructure Development Corporation, 3rd floor RIADA Building, Namkum Industrial Estate, Namkum Ranchi द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र सं0 235 दिनांक 10.2.2022 संलग्न किया गया, जबकि निगम ने झारखण्ड औद्योगिक आधार भूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, उद्योग भवन पाचवाँ तल्ला रातू रोड राँची झारखण्ड से अनुभव प्रमाण पत्र का सत्यापन कराया गया एवं उनके द्वारा कहा गया कि यह इस कार्यालय से निर्गत नहीं है एवं अनुभव प्रमाण पत्र को Ingenue (निष्कपटता) माना जा रहा है। निविदा तकनीकी समिति द्वारा (NIT की) कंडिका 41(ङ) के अनुसार उनके फर्म की निविदा को दिनांक 25.4.2023 को Non Responsive मान लिया गया, जिससे यह स्पष्ट होता हैं कि उनकी निविदा पत्र का withdrawal हो चुका और वह किसी भी तरह विचारणीय नहीं था।

(iii) निगम के पत्र सं० HQ 1702, दिनांक 3.6.2024 के द्वारा जालसाजी के लिये NIT की कंडिका–'ङ', 'च' तथा SBD के ITB की कंडिका 33.1 में वर्णित शर्त के आलोक में उनके निबंधन को निलंबित कर काली सूची में डालने की बिन्दु स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

(iv) उपर्युक्त पत्र के आलोक में उनके फर्म द्वारा दिनांक 14.6.2024 को विस्तृत स्पष्टीकरण, निगम को समर्पित किया गया, परन्तु स्पष्टीकरण में फर्म द्वारा दिये गये बिन्दुओं पर पूर्ण एवं विधिवत विचार नहीं किया गया तथा बिहार निबंधन नियमावली 2007 की कंडिका 11(क)7 के प्रावधानों के तहत उनके निबंधन संख्या REG. No.- 1210238RWD की वैधता की तिथि 21.02.2026 तक आगामी निविदाओं में भाग लेने से वंचित (Debar) कर दिया गया।

(v) निगम के पत्र सं0–एच0क्यू0 1702 दिनांक–3.6.2024 द्वारा उनके निबंधन को काली सूची में दर्ज करने (Blacklist)/निलंबित (Suspend) करने के बिन्दु पर स्पष्टीकरण की मांग की गयी थी, जबकि मुख्य अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के पत्र सं0–HQ 2987 दिनांक–2.8.2024 एवं कार्यालय आदेश–298/2024, ज्ञापांक–HQ 3020 दिनांक–3.8.2024 के द्वारा भिन्न दण्ड, निबंधन की वैधता की तिथि 21.02.2026 तक आगामी निविदाओं में भाग लेने से वंचित (Debar) करने का दण्ड दिया गया। Debar संबंधी दण्ड के संबंध में कोई भी स्पष्टीकरण की माँग निगम द्वारा नहीं की गई है, अतः उक्त दण्ड नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विरूद्ध है एवं पोषणीय नहीं है।

13. दिनांक–29.10.2024 को अपीलकर्ता, विद्वान अधिवक्ता, श्री कुन्दन कुमार सिन्हा के साथ उपस्थित हुये। सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता एवं उनके साथ उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपील आवेदन में वर्णित तथ्यों को ही reiterate किया गया।

14. अपीलकर्ता द्वारा अपील आवेदन में मुख्यतः 02 बातें कही गयी है:–

(i) Bid Validity Period के बाद उनके फर्म द्वारा निविदा प्रपत्र वापस लेने के उपरान्त, निविदा की तकनीकी बीड दिनांक 25.4.2023 को खोला गया। चूंकि उनके फर्म ने अपना निविदा प्रपत्र दिनांक 24.4.2023 को ही वापस ले लिया, इसलिये फर्म निविदा प्रक्रिया में शामिल ही नहीं था। उनकी निविदा को दिनांक–25.04.2024 को Non Responsive मान लिया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उनकी निविदा प्रपत्र का withdrawal हो चुका और वह किसी भी तरह विचारणीय नहीं था।

(ii) उनके फर्म द्वारा निविदा प्रपत्र के साथ Jharkhand Industrial Infrastructure Development Corporation, 3rd floor RIADA Building, Namkum Industrial Estate, Namkum Ranchi द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र सं0 235 दिनांक 10.2.2022 संलग्न किया गया, जबकि निगम ने झारखण्ड औद्योगिक आधार भूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, उद्योग भवन पाचवाँ तल्ला रातू रोड राँची झारखण्ड से अनुभव प्रमाण पत्र का सत्यापन कराया गया एवं उनके द्वारा कहा गया कि यह इस कार्यालय से निर्गत नहीं है एवं अनुभव प्रमाण पत्र को Ingenue (निष्कपटता) माना जा रहा है।

15. अपीलकर्ता का यह कथन कि निविदा वैद्यता की अवधि के बाद उनके फर्म द्वारा निविदा प्रपत्र वापस लेने के बाद उनकी निविदा प्रपत्र किसी भी तरह विचारणीय नहीं था, मान्य नहीं है। अपीलकर्त्ता द्वारा आपराधिक षडयंत्र एवं जालसाजी कर, जाली अनुभव प्रमाण पत्र तैयार कर एवं उक्त जाली अनुभव प्रमाण पत्र समर्पित कर, छल पूर्वक बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम से कार्य आवंटित कराने तथा गलत ढ़ंग से लाभ प्राप्त करने का प्रयास किया गया जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा–467, 468, 471, 420, 120बी एवं 511 के तहत अपराध के रूप में परिभाषित है।

अपीलकर्त्ता को आपराधिक षडयंत्र एवं जालसाजी कर, जाली अनुभव प्रमाण पत्र तैयार कर एवं उक्त जाली अनुभव प्रमाण पत्र समर्पित कर, छल पूर्वक बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम से कार्य आवंटित कराने तथा गलत ढ़ंग से लाभ प्राप्त करने का प्रयास के लिये उन्हे, निबंधन की वैद्यता की तिथि तक आगामी निविदाओं में भाग लेने से वंचित किया गया है। अपील में सुनवाई के दौरान अपीलकर्त्ता के द्वारा कोई विशिष्ट साक्ष्य या सफाई प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही फर्म के उपर लगाये गये आरोपों से इन्कार किया गया। स्पष्ट है, अपीलकर्त्ता के द्वारा उपर्युक्त कंडिका में परिभाषित अपराध उस समय ही पूर्ण हो गया था, जिस समय निविदा के साथ छल करने के उद्देश्य से जाली अनुभव प्रमाण पत्र समर्पित किया गया। फर्म के द्वारा कारित उपर्युक्त अपराध का प्रभाव निविदा की वैधता अवधि से प्रभावित नहीं होता है और न ही निविदा अवधि की समाप्ति या निविदा वापसी से कम या समाप्त हो जाता है।

16. अपीलकर्ता का यह कथन कि उनके द्वारा निविदा प्रपत्र के साथ JIIDCO Namkum Industrial Estate, Ranchi द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र समर्पित किया गया था, जबकि निगत के द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र का सत्यापन JIIDCO Industrial Estate, Ratu Road, Ranchi के कार्यालय से काराया गया है, भी मान्य नहीं है। निविदाकार चंदन कुमार द्वारा समर्पित कार्यानुभव प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु, अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल–2, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के पत्रांक–SE 87 दिनांक–03.04.2023 द्वारा, उनके ई–मेल आईडी0–hr@jiidco.co.in एवं jiidcoltd@gmail.com पर भेजा गया।

अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल–2, बिहार पुलिस भवन निर्माण के उपर्युक्त पत्र के आलोक में कार्यपालक अभियंता, जिडको, राँची का पत्रांक–303 दिनांक–24.04.2023 के द्वारा अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल–2, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के ई–मेल आईडी0–se12bpbcc@gmail.com पर दिनांक–24.04.2023 को पूर्वाह्न 11:33 बजे सूचित किया गया कि " आपके द्वारा सत्यापन हेतु उपलब्ध कराया गया पत्रांक–235, दिनांक–10.02.2022 Jharkhand Industrial Infrastructure Development Corporation (JIIDCO), Ranchi, Jharkhand के कार्यालय से निर्गत नहीं है।"

अपीलकर्ता द्वारा अपने अपील अभ्यावेदन अथवा अपील अभ्यावेदन के साथ संलग्न दस्तावेजों में यह कहीं नहीं कहा गया है कि फर्म के द्वारा जाली अनुभव प्रमाण पत्र समर्पित नहीं किया गया है, अथवा उनके द्वारा समर्पित कार्यानुभव प्रमाण पत्र असली (genuine) है, जो इस तथ्य को स्वतः प्रमाणित करता है कि फर्म तथा उसके पार्टनर्स के द्वारा जाली कार्यानुभव प्रमाण पत्र समर्पित कर निविदा कार्य प्राप्त करने का प्रयास किया गया।

17. अतः ई–निविदा सूचना सं0–05/SBD/2022–23 के क्रम सं0–17–भागलपुर जिलान्तर्गत हवीबपुर थाना में मॉडल थाना भवन (G+3), आउट हाउस का विद्युतीकरण सहित निर्माण कार्य के लिये आपराधिक षडयंत्र एवं जालसाजी कर, जाली अनुभव प्रमाण पत्र तैयार कर एवं उक्त जाली अनुभव प्रमाण पत्र समर्पित कर, छल पूर्वक बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम से कार्य आवंटित कराने तथा गलत ढ़ंग से लाभ प्राप्त करने के प्रयास के लिये चन्दन कुमार को SBD के Section 1: Instruction to Bidders (ITB) के Clause 33 के तहत, मुख्य अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम का कार्यालय आदेश–298/2024 दिनांक–03.08.2024 के निर्गत की तिथि से उनके निबंधन सं0–REG. No. 1210238 RWD की वैद्यता की तिथि 21.02.2026 तक बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम एवं किसी भी अन्य कार्य विभाग/निगम/प्राधिकार/अभिकरण/संस्था की निविदा में भाग लेने से अयोग्य घोषित किया जाता है।

अपील अस्वीकृत किया जाता है।

ह0/–

अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक–सह–अपीलीय प्राधिकार,
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम

ज्ञापांक ..... ./ पटना, दिनांक – 2024

प्रतिलिपिः– श्री चन्दन कुमार, पिता–कार्तिक सिंह, ग्राम–पिपरा, पोस्ट–डुमरी, थाना–रतनपुर ओ0पी0, जिला–बेगूसराय, पिन–851117 को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–

अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक–सह–अपीलीय प्राधिकार,
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम

ज्ञापांक ..... ./ पटना, दिनांक – 2024

प्रतिलिपिः– मुख्य अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना/मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, बिहार स्थानीय क्षेत्र अभिकरण, पटना/मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ प्रबंध निदशेक, बिहार आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएं अधारभूत संरचना निगम, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना/मुख्य कार्यपालक अभियंता, बिहार ग्रामीण कार्य विकास अधिकरण, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लि0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक–सह–अपीलीय प्राधिकार,
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम

ज्ञापांक 1104579 ./ पटना, दिनांक – 6/11/2024

प्रतिलिपिः– श्री जितेन्द्र गिरि, निजी सहायक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम को निगम के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक–सह–अपीलीय प्राधिकार,
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम